

SUMMARY TRIAAL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court Mr. Dinesh Meena Judicial Magistrate Class First Depalpur Distt Indore MP.

Case No. _____ Compla " or report made on 03/03/2020

Name and address of the complainant: पं. खेमरा

Name, parentage, caste and address of accused

भगवान पिता कानाजी खोराळ पं.वर्ष
निवामी ग्राम केठवाड़ा पं.खेमरा

The office complained of, and date of, its alleged commission- तुमने दिनांक 29/02/20 को
करीब 19.20 बजे स्थान मेठवाड़ा काटा दरगाह के पीछे पर अपने आधिपत्य में बिना वैध
अनुज्ञा के क प्रवेश 19 क्वार्टर देशी प्लेन शराब रखे हुए पाये गये।

तुम्हारा उक्त कृत्य धारा आब0 अधि0-1915 की धारा-34 (1) के अधिन दंडनीय अपराध है
तुम उक्त अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(दिनेश मेना)
जुज ऑफिस, सी.पी.ओ. प्रथम क्लास
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है

भगवान सिंह

(दिनेश मेना)
जुज ऑफिस, सी.पी.ओ. प्रथम क्लास
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), Clause (f) or clause (g), or
subsection (i) of section 260, the value of the property of which the offence has been committed.

GRPL 15-101-28M-11-96

निर्णयः

(आज दिनांक 03/03/20 को पारित किया गया)

1 प्रकरण में अभियुक्त श्रीमान की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर जो धारा आब0 अधि0-1915 की धारा 34(1) के तहत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2 अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिकथित नहीं है। उसका प्रथम होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुए आरोपी को कारावास के दण्ड से दंडित किया जाना व्यापक प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा आब0 अधि0-1915 की धारा-34(1) के अपराध में जो उठने तक की सजा एवं रुपये 15000 (गुहरी नेपे एक हजार 5000) के अर्थदण्ड से दंडित किया जा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर आरोपी को उक्त धारा में कमश 07 दिन/माह का कारावास भुगताना जावे।

3 प्रकरण में जप्तशुदा मुद्रा

19 कागज देशी प्लेन शराब मूल्यहीन हो

अपील अवधि पश्चात् नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

नरे उद्बोधन पर टंकित किया

(दिनेश श्रीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला-इंदौर (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला-इंदौर (म0प्र0)

(दिनेश श्रीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला-इंदौर (म0प्र0)